

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री महेश तिवारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल का स्थानान्तरण समाल सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल के अधीन (कु0ने0ई0) तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 27/12/12

पृ क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1425

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
2. निज़ सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भोपाल म0प्र0। स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विभागीय वेबसाइट पर अवश्य की जावे।
6. संचालक राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र इतवारा रोड सेन्दल लायब्रेरी भेदान के पास भोपाल म0प्र0
7. जिला कोषालय अधिकारी भोपाल म0प्र0।
8. निज़ सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
9. श्री महेश तिवारी सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय राज्य क्षय प्रत्यक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल की और तत्काल प्रालनार्थ।
10. आदेश नस्ती।

अप.स.का. (प्रशा.) का.प्र. 9563  
दिनांक 28/12/12

Ad.(A) on leave  
M/S

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

7

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय आधार पर किये गये स्थानान्तर आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं ।

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थल	स्थानांतरण आदेश क्रमांक,दिनांक
1	2	3	4	5
1.	सुश्री रन्नु देवी मिश्रा म.स्वा.कार्य.	प्रा.स्वा.केन्द्र बैकुण्ठपुर जिला रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/सेल-8/2012/835 दि. 13.7.2012
2	श्रीमती कैथराज पटेल ए.एन.एम.	सामु.स्वा.केन्द्र जवा जिला रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/सेल-8/2012/835 दि. 13.7.2012
3	श्रीमती गीना सिंह म.स्वा.कार्य.	सामु.स्वा.केन्द्र जवा जिला रीवा	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिंगरौली के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/सेल-8/2012/835 दि. 13.7.2012.

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1421

भोपाल दिनांक 24/12/12

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल ।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल ।
- अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
- संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा मध्यप्रदेश ।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रीवा,सतना,सिंगरौली म0प्र0. । स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर करें ।
- जिला कोषालय अधिकारी रीवा,सतना,सिंगरौली म0प्र0 ।
- निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
- संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ ।
- आदेश नस्ती ।

अप.संवा. (पसा.) प्रो.क्र. 9483  
दिनांक 26/12/12

AD (A) on leave  
MLB MIS

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश 24/12/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

कार्यालयीन आदेश कमांक 3/प0क0/सेल-8/2012/856 दिनांक 13.7.2012 के स.क. 2 द्वारा श्री हरिविलास श्रीवास स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का स्थानान्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन किया गया था, उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर स्थानान्तर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुरैना के अधीन (स्वयं के व्यय पर) तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 14/12/12

पृ.कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1404

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना की और भेजकर लेख हैं कि स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैचसाईट पर अवश्य की जावे।
6. जिला कोषालय अधिकारी श्योपुर, भिण्ड, मुरैना म0प्र0।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री हरिविलास श्रीवास स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नरती।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

अप.संवा. (भसा), प्रा.क. 3320  
दिनांक 20/12/12

M/S  
20/12/12

P

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,  
मध्य प्रदेश

कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री दिनेश मण्डलोई बी.ई.ई सामु.स्वा.केन्द्र राजपुर जिला बडवानी का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगौन के अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1390

भोपाल, दिनांक 7/12/12

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये इन्दौर म0प्र0 ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बडवानी/खरगौन की और भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे । रोवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र(एल.पी.सी.) स्थानान्तरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय को अवगत करावें। कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलो में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
6. जिला कोषालय अधिकारी बडवानी/खरगौन म0प्र0 ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवार्ये/संचालक चिकित्सा सेवार्ये/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री दिनेश मण्डलोई बी.ई.ई सामु.स्वा.केन्द्र राजपुर जिला बडवानी की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

9119  
10/12/12

9c(m.s.)  
Jey  
6/12/12

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 3 / प0क0 / सेल-8 / 2012 /

भोपाल दिनांक

आदेश

श्रीमती प्रवीणा केलकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता माधवगंज प्रसूति गृह जिला ग्वालियर का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी देवास के अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6/12/12

पृ.क्रमांक / 3 / प0क0 / सेल-8 / 2012 / 1383

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, ग्वालियर म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ग्वालियर, देवास की और भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारियों का सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे। सेवा पूर्ण एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानांतरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारि संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय को अवगत करावे। कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलो में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे।
6. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर, देवास म0प्र0।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक स्वास्थ्य सेवायें / संचालक चिकित्सा सेवायें / परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नरती।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

AMIS.  
Soy  
06/12/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

दिनांक (मं-००) ००००  
दिनांक ००/००/००००-भोपाल-दिनांक

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम नम्बर 4 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थल	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शारदा शर्मा एल.एच.डी.	सिविल हास्पिटल जावद जिला नीमच	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के अधीन	स्वयं का व्यय
2	श्री रामकुमार नामदेव एम.पी.डब्ल्यू.	सामु.स्वा.केन्द्र घंसौर जिला सिवनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अधीन	स्वयं का व्यय
3	श्रीमती ममता जाटव ए.एन.एम.	सामु.स्वा.केन्द्र चांवरपानी जिला छिन्दवाडा	सामु.स्वा.केन्द्र कटंगी जिला बालाघाट	आपसी स्थानान्तर स्वयं का व्यय
4	श्रीमती आभा चंदेल ए.एन.एम.	सामु.स्वा.केन्द्र कटंगी जिला बालाघाट	सामु.स्वा.केन्द्र चांवरपानी जिला छिन्दवाडा	आपसी स्थानान्तर स्वयं का व्यय

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जाये। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा। तदुपरान्त कर्मचारियों को स्वयंगेव भारमुक्त माना जावेगा एवं एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी के वेतन आदि का भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 6/11/12

पृ.क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1086

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र.
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, जबलपुर म0प्र0।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच,, रतलाम, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा की और भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे। सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानांतरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय को अवगत करावे। कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलो में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैक्सईट पर अवश्य की जावे।
6. जिला कौषालय अधिकारी नीमच,, रतलाम, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा म0प्र0।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

MIS. Jay 12/11/12

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश 6/11/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 3 / 40क0 / सेल-8 / 2012 /

भोपाल दिनांक

क्षम.सं.चा. (प्रशा.), जा.क्र. \_\_\_\_\_  
दिनांक \_\_\_\_\_

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों के प्रशासकीय आधार पर किये गये स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं ।

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थल	स्थानांतरण आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4	5
1.	सुश्री प्रमिला महाजन म.स्वा.कार्य.	प्रा.स्वा.केन्द्र तलून जिला बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/ सेल-8/2012/879 दि. 13.7.2012 (स.क्र.25)
2	श्रीमती त्रिलोत्तमा पांचपोरे ए.एन.एम.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अधीन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्योपुर के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/ सेल-8/2012/836 दि. 13.7.2012 (स.क्र.4)
3	श्रीमती रजनी राजनोद म.स्वा.कार्य.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/ सेल-8/2012/879 दि. 13.7.2012 (स.क्र.12)
4	श्रीमती कृष्णा कोरडे म0स्वा0कार्य0	प्रा.स्वा.केन्द्र बलबाडा जिला खरगौन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/ सेल-8/2012/879 दि. 13.7.2012 (स.क्र.40)
5	कु0 जुलेखा ए.एन.एम.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अधीन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अशोकनगर के अधीन	आदेश क्र. 3/प. क/ सेल-8/2012/881 दि. 13.7.2012 (स.क्र.26)

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 6/11/2012

पृ.क्रमांक / 3 / 40क0 / सेल-8 / 2012 / 1084  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल ।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
4. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, इन्दौर, धार, बडवानी, खरगौन म0प्र0. ।  
स्थानान्तरण आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाइट पर अवश्य की जावे ।
6. जिला कोषालय अधिकारी दतिया, श्योपुर, अशोकनगर, इन्दौर, धार, बडवानी, खरगौन म0प्र0 ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण  
स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
8. संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

M/S  
Soy  
12/11/12

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश 6/11/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम नम्बर 4 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानान्तरित कर पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानान्तरित स्थल	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती शारदा शर्मा एल.एच.व्ही.	सिविल हास्पिटल जावद जिला नीमच	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम के अधीन	स्वयं का व्यय
2	श्री रामकुमार नामदेव एम.पी.डब्ल्यू.	सामु.स्वा.केन्द्र घंसौर जिला सिवनी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के अधीन	स्वयं का व्यय
3	श्रीमती ममता जाटव ए.एन.एम.	सामु.स्वा.केन्द्र चांवरपानी जिला छिन्दवाडा	सामु.स्वा.केन्द्र कटंगी जिला बालाघाट	आपसी स्थानान्तर स्वयं का व्यय
4	श्रीमती आभा चंदेल ए.एन.एम.	सामु.स्वा.केन्द्र कटंगी जिला बालाघाट	सामु.स्वा.केन्द्र चांवरपानी जिला छिन्दवाडा	आपसी स्थानान्तर स्वयं का व्यय

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा। तदुपरांत कर्मचारियों को स्वयंमेव भारमुक्त माना जावेगा एवं एक सप्ताह पश्चात् स्थानान्तरित कर्मचारी के वेतन आदि का भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 6/11/12

पु.क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/1086

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र.
- अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
- संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, जबलपुर म0प्र0।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नीमच,, रतलाम, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा की और भेजकर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे। सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानान्तरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त है तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय को अवगत करावे। कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलों में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे।
- जिला कोषालय अधिकारी नीमच,, रतलाम, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिन्दवाडा म0प्र0।
- निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
- संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ।
- आदेश नस्ती।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कनांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 3 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम नम्बर 4 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संस्था प्रमुख के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है ।

क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरित स्थल	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुनीता निकम म.स्वा.कार्य.	उप स्वा० केन्द्र बंधाराबुजुर्ग पानसेमल जिला बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार के अधीन	स्वयं का व्यय
2.	श्री जितेन्द्र कुमार मोय्य बहू.स्वा.कार्य. पुरुष	उप स्वा.केन्द्र रिगनोद, बर्डियागोयल जिला रतलाम	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इन्दौर के अधीन	स्वयं का व्यय
3.	कु० आंशालता बसुनिया न.स्वा.कार्य.	उप स्वा.केन्द्र रखगांव, सामु.स्वा.केन्द्र सैगांव, खरगौन	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी के अधीन	स्वयं का व्यय
4.	कु० दीप्ती मेटा म.स्वा.कार्य.	सामु.स्वा.केन्द्र सरदारपुर जिला धार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीहोर के अधीन	स्वयं का व्यय

उपरोक्त कर्मचारियों को एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से भारमुक्त किया जावे। इसका उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रमुख का होगा। तदुपरांत कर्मचारियों को स्वयंसेव भारमुक्त माना जावेगा एवं एक सप्ताह पश्चात् स्थानांतरित कर्मचारी के वेतन आदि का भुगतान मूल संस्था से नहीं किया जावेगा ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

भोपाल दिनांक 26/10/12

पृ.कनांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 1074

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
- अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
- संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, इन्दौर, भोपाल म0प्र0 ।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बडवानी, रतलाम, इन्दौर, सीहोर, धार, खरगौन की और भेजकर लेख है कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण वी सूचन संचालनालय को देवे । सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानांतरित स्थान पर भिजवान सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय के अवगत करावे । कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलों में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
- जिला कोषालय अधिकारी बडवानी, रतलाम, इन्दौर, सीहोर, धार, खरगौन म0प्र0 ।
- निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
- संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ।
- आदेश नस्ती।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 3 / प0क0 / सेल-8 / 2012 / 1071

भोपाल दिनांक 26/11/12

आदेश

श्रीमती रेखा गुप्ता महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र छोटी पोलायकल्लो जिला शाजापुर का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार का अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पु.क्रमांक / 3 / प0क0 / सेल-8 / 2012 / 1072

भोपाल, दिनांक 26/11/12

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
4. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें उज्जैन, इन्दौर म0प्र0 ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शाजापुर, धार की और भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे । सेवा पुरितका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानान्तरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें। यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये संचालनालय को अवगत करावे। कार्यभार ग्रहण करने वाले जिलो में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
6. जिला कोषालय अधिकारी शाजापुर, धार म0प्र0 ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
8. संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

MIS  
20/11/12

3326  
31/10/12